22/12/20 वकील वादी/प्रार्थी उपस्थित हुआ। आदेश हेतु दिनांक 28/12/20 को पेश हो।

28/12/20 वकील वादी/प्रार्थिनी/प्रार्थी को सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थिनी/प्रार्थी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि राजीनामा अनुसार डिक्री की जावे और प्रार्थिनी के नाम पर ISEEA के मु० रु० 75 के बिल का पूरा भुगतान की मूल रकम सहित खातेदारी डली मानते का आदेश दिया जावे। प्रार्थिनी को सुना गया।

अतः पत्रावली का अवलोकन राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाकर डिक्री बिल से लिखकर जाकर बाकी बिल किया जाता। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2022.12.13 12:51:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner